

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 13, बुधवार, शाके 1946-सितम्बर 04, 2024 Bhadra 13, Wednesday, Saka 1946- September 04, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग अधिस्चना जयपुर, सितम्बर 04, 2024

संख्या प.6(75)पिर/कर/मु./08/13509 :-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद् द्वारा, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88, की उप-धारा (8) के अन्तर्गत जारी अनुजापत्रों पर दिनांक 05.09.2024 से 19.09.2024 तक की कालाविध के मध्य अधिकतम 10 दिवस के लिये अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला जैसलमेर) आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 6500/- रूपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है।

राज्यपाल के आदेश से,

(गोपाल सिंह) सयुंक्त शासन सचिव

2630

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।